कार्यालय नगर परिषद न्यू रामनगर जिला सतना (म.प्र.)

आज दिनांक 27/2/21 को कार्यालय सभाकक्ष में समय 12 बजे माननीय प्रशासक महोदय की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया।

<table>
<tr><td>परिषद प्रस्ताव क. ... एवं विषयः—</td><td>पारित संकल्प एवं निर्णय</td></tr>
<tr><td>नगरीय निकायों में भवनों/भूमियों पर सम्पत्तिकर, नियम 2020 की गणना अनुसार वर्ष 2021—22 में सम्पत्तिकर की नवीन दर अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में विचार एवं निर्णय।</td><td>
प्रकरण प्रस्तुत हुआ, प्रकरण के सम्बंध में मु.न.पा. अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय निकायों में भवनों/भूमियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 126 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन/विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित राजपत्र क. 46 भोपाल दिनांक 13 नवम्बर 2020 मे उल्लेखित संशोधित गणना अनुसार सम्पत्तिकर अधिरोपित किया जाना है। पूर्व में निकाय द्वारा अधिरोपित दर निम्नानुसार हैः—

<u>प्रथम जोन—</u> श्रीकिसान पेट्रोलपंप (वार्ड क्र. 2) से शासकीय अस्पताल तक दोनो तरफ (मेनरोड), वार्ड क्र. 2, 7, 12, 14 का अंशभाग।

<u>द्वितीयजोन—</u> मेनरोड के अलावा वार्ड क्र. 2 का समस्त भाग तुर्की एवं झगरहा और हरिजन/आदिवासी को छोड़कर, वार्ड क्र. 7, 12, 14 का मेनरोड छोडकर।

<u>तृतीयजोन—</u> वार्ड क्र. 1 का सम्पूर्ण भाग वार्ड क्र. 2 का तुर्की एवं छगरहा वार्ड क्र. 3, 4, 5, 6, 9, 10 का सम्पूर्ण भाग वार्ड क्र. 7, 8 का शेष सम्पूर्ण भाग, वार्ड क्र.11,12 का शेष भाग, वार्ड क्र. 13 का सम्पूर्ण भाग, वार्ड क्र. 14 प्रथम एवं द्वितीय जोन छोड़कर वार्ड क्र. 15 का सम्पूर्ण भाग।
अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार करारोपण की दर प्रस्तावित की गई। जो निम्नानुसार है।

<table>
<tr><td></td><td>आवाशीय</td><td></td><td>व्यावसायिक</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कच्चा</td><td>पक्का</td><td>कच्चा</td><td>पक्का</td></tr>
<tr><td>प्रथमजोन —</td><td>6=00</td><td>8=00</td><td>8=00</td><td>10=00</td></tr>
<tr><td>द्वितीयजोन —</td><td>6=00</td><td>8=00</td><td>6=00</td><td>8=00</td></tr>
<tr><td>तृतीयजोन —</td><td>मुक्त</td><td>6=00</td><td>4=00</td><td>6=00</td></tr>
</table>
समेकितकर— 120=00 प्रतिवर्ष प्रतिपरिवार

शिक्षाउपकर सम्पत्तिकर के भाड़ा मूल्य का एक प्रतिशत नगरीय विकाश उपकर— आवाशीय में 1 प्रतिशत एंव व्यावसायिक में 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया उक्त दरें परिषद संकल्प दिनांक 31.10.2015 प्रस्ताव क्र.2 में निर्धारित की गई थी जो अर्थ वर्ष 2016—2017 से प्रभावशील हुई पूर्व में भूमि के संबंध में कोई कर अधिरोपित नही किये गये थे के उपरांत पुनः वर्ष 2018—2019 के समपत्तिकर निर्धारण हेतु परिषद बैठक 26.02.2018 को प्रस्ताव क्र. 2 में निर्णय हेतु रखा गया जिसमें चर्चा अनुसार परिषद सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018—2019 में भी पूर्व दर अनुसार ही वसूली की जावे।
</td></tr>
</table>

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर
जिला—सतना(म0प्र0)

वर्षः 2021–22 हेतु प्रस्तावित नवीन दर

जोन क्रमांक	आर.सी.सी.आर.बी.सी या पत्थर के छत युक्त भवन		सीमेन्ट या लोहे की चादर या टाईल्स (केवल छत युक्त पक्के भवन)		आंशिक कच्चे एवं पक्के भवन		भूमियां	
	व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग	आवासीय उपयोग	व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग	आवासीय उपयोग	व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग	आवासीय उपयोग	व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग	आवासीय उपयोग
जोन 1 मुख्य बाजार (अ)	16=00	9=00	14=00	9=00	10=00	8=00	6=50	3=50
मुख्य सड़क के पीछे (ब)	10=00	8=00	9=00	8=00	7=00	6=00	3=50	2=50
जोन 2 मुख्य बाजार (अ)	14=00	8=00	12=00	8=00	9=00	7=00	5=50	3=00
मुख्य सड़क के पीछे (ब)	10=00	7=00	9=00	7=00	7=00	5=00	3=50	2=00
जोन 3 मुख्य बाजार (अ)	12=00	7=00	10=00	8=00	7=00	5=00	3=50	2=50
मुख्य सड़क के पीछे (ब)	7=00	6=00	7=00	6=00	6=00	4=00	2=50	2=50

अतः मै प्रशासक कमलेश कुमार पाण्डेय शासन के निर्देशानुसार सम्पत्तिकर की पुरानी दरों में संशोधन किया जाकर वर्ष 2021–22 हेतु नवीन दर सम्पत्तिकर में अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

तदानुसार मु.न.पा. अधिकारी अग्रिम कार्यवाही करें।

सत्यप्रतिलिपि

(शैलेन्द्र चौहान)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
प्रशासक
नगर परिषद न्यू रामनगर

प्रति,

शाखा प्रभारी प्रस्तावानुसार कार्यवाही हेतु नस्ती प्रस्तुत करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर
जिला–सतना(म0प्र0)